कार्यालय कलेक्टर बेमेतरा एवं पदेन उप–सचिव छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग
// प्रारंभिक अधिसूचना //

क्रमांक ..../............./ बेमेतरा, दिनॉक ....

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कालम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कालम नं. (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि–अर्जन पुनर्वास तथा पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कालम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा –12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :–

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का नंबर	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे.में)		
1	2	3	4	5	6	7
बेमेतरा	बेमेतरा	पिकरी/26	6 7	0.016 0.010	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा	करूवा व्यपवर्तन के पिकरी फीडर हेतु
		योग :–	2	0.026		

(2) यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्ता/लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधान निर्धारित के निष्कर्षो के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4) प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रस्तावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

(5) प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन को छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4–28/सात–1/2014 दिनांक 02 मार्च 2015 के द्वारा अधिनियम 2013 के अध्याय "दो" एवं "तीन" के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

(6) प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा को पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन प्रशासन नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

भू–अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बेमेतरा (छ.ग.)

कलेक्टर
जिला बेमेतरा एवं पदेन उपसचिव छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

D/Brij/Bhu-Arjan/Dhara-12

कार्यालय भू–अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेमेतरा, जिला बेमेतरा(छ.ग.)

ज्ञापन

क्रमांक / /प्र.3/अ.वि.अ./2025 बेमेतरा, दिनांक - 9 APR 2025

प्रति,

उपसंचालक
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय
चिखली, खैरागढ़ रोड राजनांदगांव(छ.ग.)

204
11.04.25

कलेक्टर NIC

विषय:– **धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन छ.ग.राजपत्र में करने बाबत्।**

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि **इस न्यायालय के भू–अर्जन प्रकरण** में प्रभावित निजी भूमि के संबंध में **धारा 11 अंतर्गत प्रारंभिक** अधिसूचना की प्रति माननीय कलेक्टर महोदय के हस्ताक्षर उपरांत आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इस अधिसूचना का छ.ग.राजपत्र में प्रकाशन कर राजपत्र प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

संलग्न:– **करूवा व्यपवर्तन योजना के पिकरी फीडर** में प्रभावित निजी भूमि ग्राम पिकरी तहसील बेमेतरा की धारा 11 अंतर्गत अधिसूचना की प्रति।

भू–अर्जन एवं अनुविभागीय
अधिकारी(रा.) बेमेतरा (छ.ग.)

क्रमांक / 868 /प्र.3/अ.वि.अ./2024 बेमेतरा, दिनांक 07/04/2025

प्रतिलिपि:–1. कार्यालय कलेक्टर बेमेतरा, एन.आई.सी. शाखा की ओर सादर संप्रेषित। **कृपया अधिसूचना की प्रति को वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करेंगे।**

2. कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ।

3. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग साजा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। **कृपया अधिसूचना की प्रति को दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर एक–एक प्रति इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।**

4. कार्यालय तहसीलदार (मालजमादार शाखा) बेमेतरा, अधिसूचना की प्रति कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर तामिली इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

5. ~~सरपंच/सचिव~~ CMO. कार्यालय ~~ग्राम पंचायत बहेरा~~ नगरपालिका बेमेतरा **अधिसूचना की प्रति कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर एक प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।**

भू–अर्जन एवं अनुविभागीय
अधिकारी(रा.) बेमेतरा (छ.ग.)